<u>वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद</u>
<u>अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली – 110001</u>

F.No.17-02(Reports)/2023-HR- III   दिनांक: 27.01.2026

<u>कार्यालय ज्ञापन /OFFICE MEMORANDUM</u>

विषय: महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम (पॉश अधिनियम) के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति के निर्देशों का तत्काल अनुपालन संबंधी ।

Subject: Immediate compliance with directions of the Parliamentary Standing Committee on the Empowerment of Women- Measures under PoSH Act-reg.

सीएसआईआर-एनएएल, सीएसआईआर-सीएफ़टीआरआई तथा सीएसआईआर-एनआईआईएसटी में दिनांक 26 से 30 दिसंबर, 2025 के दौरान आयोजित महिला सशक्तिकरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति (पीसीईओडबल्यू) के अध्ययन दौरे के क्रम में यह सूचित किया जाता है कि समिति ने महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के क्रियान्वयन तथा उससे संबंधित कल्याणकारी उपायों की समीक्षा की ।

In continuation of the Study Visit of the Parliamentary Standing Committee on the Empowerment of Women (PCEoW) conducted during 26th-30th December, 2025 at CSIR NAL, CSIR-CFTRI and CSIR-NIIST, it is informed that the Committee reviewed the implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, and related welfare measures.

इस दौरे की अवधि में समिति द्वारा विद्यमान प्रथाओं का संज्ञान लिया गया, वैधानिक अनुपालन की जांच की गई तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम, प्रतिषेध एवं प्रतितोष तंत्र को सुदृढ़ करने हेतु विशिष्ट निर्देश जारी किए गए ।

During the visit, the Committee noted the existing practices, examined statutory compliance, and issued specific instructions to strengthen prevention, prohibition, and redressal mechanisms relating to sexual harassment at the workplace.

संसदीय समिति के प्रेक्षणों एवं निर्देशों को देखते हुए, महानिदेशक, सीएसआईआर द्वारा सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों में तत्काल अनुपालन हेतु निम्नलिखित उपायों को स्वीकृति प्रदान की गई है, ताकि महिला कर्मचारियों हेतु एकरूपता, वैधानिक अनुपालन तथा सुरक्षित एवं गरिमापूर्ण कार्य परिवेश सुनिश्चित किया जा सके:

In view of the observations and directions of the Parliamentary Committee, the Director General, CSIR has approved the following measures for immediate compliance by all CSIR Laboratories/Institutes/Units, with a view to ensuring uniformity, statutory adherence, and a safe and dignified work environment for women employees:

कृ.प.उ./P.T.O.

1. **जागरूकता कार्यक्रम/ Awareness Programmes**

i. सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएँ/संस्थान/इकाइयाँ प्रतिवर्ष अनिवार्य रूप से दो पॉश जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगी:
   - क. पहला पॉश सप्ताह (9–16 दिसंबर) के दौरान
   - ख. दूसरी, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (8 मार्च) के अवसर पर

ii. कार्यस्थलों पर बहुभाषी सूचना पट्ट (हिंदी, अंग्रेज़ी एवं क्षेत्रीय/स्थानीय भाषा) प्रमुख रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे, जिनमें निम्नलिखित विवरण निहित होंगे:
   - क. आंतरिक समिति की संरचना एवं संपर्क विवरण (मोबाइल नंबर सहित)
   - ख. पॉश अधिनियम के अंतर्गत दंडात्मक प्रावधान
   - ग. आपातकालीन संपर्क नंबर

iii. SHe-Box पोर्टल से संबद्ध क्यूआर कोड को सभी पॉश संबंधी प्रचार सामग्री (डिस्प्ले/बिलबोर्ड सहित) में सम्मिलित किया जाए। क्यूआर कोड SHe-Box पोर्टल → आईईसी मैटेरियल(https://shebox.wcd.gov.in/iec_materail) से डाउनलोड किए जा सकते हैं ।

i. All CSIR Laboratories/Institutes/Units shall conduct two mandatory PoSH awareness programmes every year:
   - a. One during PoSH Week (9th-16th December)
   - b. One on International Women's Day (8th March)

ii. Multilingual display boards (Hindi, English, and Regional/Vernacular language) shall be prominently displayed at workplaces, containing:
   - a. Composition and contact details (including mobile no.) of the Internal Committee (IC)
   - b. Penal provisions under the PoSH Act
   - c. Emergency contact numbers

iii. QR codes linked to the SHe-Box Portal shall be integrated into all PoSH-related publicity material (including the display/bill-boards). QR codes could be downloaded from SHeBox Portal->IEC Material (https://shebox.wcd.gov.in/iec_materail)

2. **संवेदनशीलता एवं प्रशिक्षण/ Sensitization and Training**

i. पॉश संवेदनशीलता कार्यक्रमों में सभी कार्मिकों के साथ-साथ पुरुष कार्मिकों के लिए भी भागीदारी अनिवार्य होगी ।

ii. सभी कर्मचारियों द्वारा iGOT पॉश (PoSH) प्रमाणन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य किया जाए।

i. Participation in PoSH sensitization programmes shall be mandatory for all employees, including male employees.

ii. Completion of iGOT PoSH certification courses shall be made mandatory for all employees.

कृ.प.उ./P.T.O.

3. आंतरिक समितियों की क्षमता का निर्माण/ Capacity Building of Internal Committees

i. आंतरिक समिति के सभी सदस्य नियमित रूप से क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में भाग लें। इन कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल होंगे:
   क. तथ्यान्वेषण एवं जांच प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण
   ख. शिकायतों का विवेकपूर्ण एवं गोपनीय तरीके से निपटान संबंधी प्रशिक्षण
   ग. इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का प्रबंधन [जैसे व्हाट्सएप, सीसीटीवी]

ii. इस संबंध में, सीएसआईआर-एचआरडीसी, गाजियाबाद एक विशिष्ट प्रशिक्षण मॉड्यूल शीघ्र विकसित किया जायेगा।

iii. आंतरिक समिति के सभी सदस्यों द्वारा iGOT पॉश प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए।

i. All members of Internal Committees shall undergo regular capacity-building programmes, including:
   a. Training on fact-finding and inquiry procedures
   b. Handling of complaints in a discreet and confidential manner
   c. Handling of electronic evidences [e.g Whatsapp, CCTV]

ii. CSIR-HRDC, Ghaziabad shall develop specific training module in this regard, at the earliest.

iii. Completion of iGOT PoSH training modules by all IC members shall be ensured.

4. मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याणकारी उपाय/ Mental Health and Welfare Measures

i. सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाएँ/संस्थान यौन उत्पीड़न एवं संबंधित विषयों के मानसिक प्रभावों से निपटने हेतु प्रति सप्ताह 1–2 घंटे के लिए अंशकालिक परामर्शदाता/मनोवैज्ञानिक का प्रबंध करें।

i. All CSIR Laboratories/Institutes shall engage a part-time counsellor/psychologist for 1-2 hours per week to address mental health impacts of harassment and related issues.

5. लेखा-परीक्षा, प्रतिवेदन एवं जवाबदेही/ Audit, Reporting, and Accountability

i. सभी सीएसआईआर प्रयोगशालाएँ/संस्थान यौन उत्पीड़न मामलों पर प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल तक वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। संकलित वार्षिक प्रतिवेदन सीएसआईआर मुख्यालय द्वारा यथा निर्धारित महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) को प्रस्तुत किया जाएगा।

ii. पॉश अनुपालन जांच को आंतरिक प्रशासनिक लेखा-परीक्षा एवं निरीक्षणों में सम्मिलित किया जाए।

i. All CSIR Labs/Insts. should submit Annual report on sexual harassment cases by 15th April every year. The compiled Annual Report shall be submitted by CSIR Hqrs. to the Ministry of Women and Child Development, in addition to the Department of Personnel and Training (DoPT), as prescribed.

ii. PoSH compliance checks shall be incorporated into internal administrative audits and inspections.

कृ.प.उ./P.T.O.

6. अनुसंधान नैतिकता एवं बौद्धिक संपदा/ Research Ethics and Intellectual Property

i. बौद्धिक संपदा, लेखन एवं विशेषकर महिला शोधकर्ताओं को प्रभावित करने वाले नैतिक आचरण से संबंधित समस्याओं के समाधान हेतु अनुसंधान एवं शासन में नैतिकता के लिए सीएसआईआर के दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

i. In response to concerns relating to intellectual property, authorship, and ethical conduct, especially affecting female researchers, strict enforcement of CSIR Guidelines for Ethics in Research and Governance shall be ensured.

7. मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)/ Standard Operating Procedure (SOP)

i. पॉश शिकायतें दर्ज करने हेतु सीएसआईआर मुख्यालय में एक सरल एवं प्रयोक्तानुकूल एसओपी तैयार की जा रही है, जिसे शीघ्र ही प्रसारित किया जाएगा ।

ii. प्राप्त होने पर, सभी प्रयोगशालाएँ/संस्थान उक्त एसओपी का कर्मचारियों के मध्य व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें।

i. A simplified, user-friendly SOP for filing PoSH complaints is being finalized at CSIR Headquarters and shall be circulated shortly.

ii. Upon receipt, all Laboratories/Institutes shall ensure wide dissemination of the SOP among employees.

8. सीसीटीवी एवं परिसर सुरक्षा/ CCTV and Campus Safety

i. सभी प्रयोगशालाएँ/संस्थान असुरक्षित अथवा कम रोशनी वाले क्षेत्र अभिनिर्धारित करने के लिए सुरक्षा जांच शुरू करें ।

ii. (महिला कर्मचारियों की निजता से समझौता किए बगैर), ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त प्रकाश तथा सीसीटीवी कवरेज की व्यवस्था प्राथमिकता आधार पर सुनिश्चित करें।

i. All Laboratories/Institutes shall undertake a security audit to identify vulnerable or poorly lit areas.

ii. Adequate lighting and CCTV coverage shall be ensured in such areas (without compromising privacy of female employees) on priority.

9. अतिरिक्त कल्याणकारी उपाय/ Additional Welfare Measures

i. प्रयोगशालाएँ/संस्थान आवश्यकता अनुसार महिला-केंद्रित अतिरिक्त कल्याणकारी उपायों की पहचान कर उन्हें लागू करें तथा समीक्षा हेतु संबंधित दस्तावेजों को बनाए रखें।

i. Laboratories/Institutes shall identify and implement additional women-centric welfare measures, as applicable, and keep the same documented for review.

कृ.प.उ./P.T.O.

उपरोक्त निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू किए जाएं। सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाएँ/संस्थान/इकाइयाँ सख्त अनुपालन सुनिश्चित करें और तदनुसार आवश्यक आंतरिक निर्देश जारी कर सकते हैं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है ।

The above directions shall be implemented with immediate effect. All the Labs/Institutes/Units of CSIR shall ensure strict compliance and may issue necessary internal instructions accordingly.

This issues with the approval of the competent authority.

27/01/2026

(अनीता सिंह/ Anita Singh)
वरिष्ठ उप सचिव/ Sr. Deputy Secretary

प्रतिलिपि/ To:

1. सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थाओं/इकाइयों के निदेशक/प्रमुख के कार्यालय / O/o Directors/Heads of all CSIR Labs/Instts./Units
2. महानिदेशक, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o DG, CSIR
3. संयुक्त सचिव (प्रशासन) सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o JS (A), CSIR
4. वित्तीय सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o FA, CSIR
5. मुख्य सतर्कता अधिकारी, सीएसआईआर का कार्यालय / O/o CVO, CSIR
6. विधि सलाहकार, सीएसआईआर का कार्यालय/ O/o LA, CSIR
7. अवर सचिव (केंद्रीय कार्यालय)/ US (Central Office)
8. आईटी डिवीजन, सीएसआईआर मुख्यालय- इस अनुरोध के साथ कि इस का.ज्ञा. को सीएसआईआर की वेबसाइट पर अपलोड करें/ IT Division, CSIR Hqrs.- with the request to upload the OM on CSIR website. I
9. कार्यालय प्रति/ Office Copy